रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 467] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 25, 2007/वैशाख 5, 1929
No. 467] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 2007/VAISAKHA 5, 1929

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2007

का.आ. 645(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री विजय जौली, विधान सभा सदस्य, साकेत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा तारीख 28 मार्च, 2006 की तथा श्री जगदीश मुखी, विधान सभा सदस्य और दिल्ली विधान सभा में विपक्ष के नेता द्वारा तारीख 3 अप्रैल, 2006 की एक अन्य याचिका राष्ट्रपति को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रस्तुत की गई थी जिनमें दिल्ली विधान सभा के 19 सदस्यों, अर्थात् (1) श्री नसीब सिंह, (2) डा. नरेन्द्र नाथ, (3) श्रीमती अंजली राय, (4) श्री मतीन अहमद, (5) श्री राजेश जैन, (6) श्री प्रह्लाद सिंह साहनी, (7) श्री ब्रह्म पाल, (8) श्री अम्बरीश सिंह गौतम, (9) श्री राजेश लिलोथिया, (10) डा. विजेन्द्र सिंह, (11) श्री बलराम तंवर, (12) प्रो. किरण वालिया, (13) श्री अशोक आहूजा, (14) श्रीमती ताजदार बाबर, (15) श्री विजय सिंह लोचव, (16) श्री महाबल मिश्रा, (17) श्री कंवर करण सिंह, (18) श्री वीर सिंह धींगन और (19) श्री भीषम शर्मा की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाया गया था;

और राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उप-धारा (4) के अधीन तारीख 10 अप्रैल, 2006 और 19 जुलाई, 2006 के दो निर्देशों द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के पूर्वोक्त 19 सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या वे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन दिल्ली विधान सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और याचिकाओं में प्रत्यर्थियों से संबंधित आरोप, जोकि दोनों याचिकाओं में एक समान हैं, ये हैं कि वे नीचे उल्लिखित पदों को धारण कर रहे हैं :—

क्रम सं.	प्रत्यर्थी का नाम	प्रत्यर्थी द्वारा अभिकथित रुप से धारित पद
1	श्री नसीब सिंह	संसदीय सचिव
2	डा. नरेन्द्र नाथ	अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांस यमुना बोर्ड
3	श्रीमती अंजली राय	उपाध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड अध्यक्ष, मध्य दिल्ली जिला विकास समिति
4	श्री मतीन अहमद	अध्यक्ष, दिल्ली वक्फ बोर्ड
5	श्री राजेश जैन	अध्यक्ष, उत्तरी दिल्ली जिला विकास समिति
6	श्री प्रह्लाद सिंह साहनी	अध्यक्ष, उत्तरी दिल्ली जिला विकास समिति
7	श्री ब्रह्म पाल	अध्यक्ष, पूर्वी दिल्ली जिला विकास समिति
8	श्री अम्बरीश सिंह गौतम	अध्यक्ष, पूर्वी दिल्ली जिला विकास समिति
9	श्री राजेश लिलोथिया	अध्यक्ष, पश्चिमी दिल्ली जिला विकास समिति
10	डा. बिजेन्द्र सिंह	अध्यक्ष, पश्चिमी दिल्ली जिला विकास समिति
11	श्री बलराम तंवर	अध्यक्ष, दक्षिणी दिल्ली जिला विकास समिति
12	प्रो. किरण वालिया	अध्यक्ष, दक्षिणी दिल्ली जिला विकास समिति
13	श्री अशोक आहूजा	अध्यक्ष, नई दिल्ली जिला विकास समिति
14	श्रीमती ताजदार बाबर	अध्यक्ष, नई दिल्ली जिला विकास समिति
15	श्री विजय सिंह लोचव	अध्यक्ष, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली जिला विकास समिति
16	श्री महाबल मिश्रा	अध्यक्ष, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली जिला विकास समिति
17	श्री कंवर करन सिंह	अध्यक्ष, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली जिला विकास समिति
18	श्री वीर सिंह धींगन	अध्यक्ष, उत्तर-पूर्वी दिल्ली जिला विकास समिति
19	श्री भीषम शर्मा	अध्यक्ष, उत्तर-पूर्वी दिल्ली जिला विकास समिति

और याची की दलील यह है कि ऊपर उल्लिखित पद सरकार के अधीन लाभ के पद हैं जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निरर्हता आकर्षित करते हैं;

और निर्वाचन आयोग ने इन याचिकाओं में श्री मतीन अहमद, विधान सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर अपनी राय पहले ही पृथक रुप से 10 अगस्त, 2006 और 6 नवम्बर, 2006 को दे दी है;

और निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि वर्तमान राय विधान सभा के शेष 18 सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है;

और निर्वाचन आयोग ने, दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा 9 सितंबर, 1997 से, भूतलक्षी प्रभाव से यथासंशोधित दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) अधिनियम, 1997 की धारा 3 का उल्लेख किया है और इस संशोधन के द्वारा दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) अधिनियम, 1997 की अनुसूची का, उसमें (क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव, (ख) यमुना पार क्षेत्र विकास

बोर्ड, दिल्ली के अध्यक्ष और (ग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा गठित 9 जिला विकास समितियों के अध्यक्षों के पदों को सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया गया है, जिससे कि उन पदों को दिल्ली विधान सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हता के विस्तार क्षेत्र से छूट दी जा सके;

और निर्वाचन आयोग ने यह और उल्लेख किया है कि जहां तक श्रीमती अंजली राय द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष का अतिरिक्त पद धारण किए जाने का संबंध है, दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 की धारा 3(2)(iii) द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के लिए विधान सभा के तीन सदस्यों को नामांकित करने के लिए सशक्त हैं और उक्त अधिनियम की धारा 3(2) (i) में यह और उपबंध किया गया है कि उक्त तीन नामांकित सदस्यों में से एक सदस्य अध्यक्ष द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रुप में नामांकित किया जाएगा और इसलिए दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा उन्हें नामांकित किए जाने के कारण वे सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं कर रही थी;

और निर्वाचन आयोग ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के ऊपर उल्लिखित 18 सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि याचिकाओं के अनुसार दिल्ली विधान सभा के ऊपर उल्लिखित 18 सदस्यों द्वारा, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के पद से भिन्न ऊपर उल्लिखित पदों पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् यदि कोई निरर्हता उपगत की गई थी तो वह अब दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) अधिनियम, 1997 की संशोधित धारा 3 के कारण हट गई है और जहां तक श्रीमती अंजली राय द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद धारण करने का संबंध है, यहे अभिनिर्धारित किया गया है कि यह सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं है । अतः, ऊपर उल्लिखित 18 सदस्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (1) (क) के अधीन दिल्ली विधान सभा के सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं हैं;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली विधान सभा के ऊपर उल्लिखित 18 सदस्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन दिल्ली विधान सभा के सदस्य होने के लिए, जैसा कि वर्तमान याचिकाओं में अभिकथित किया गया है, निरर्हित नहीं हैं।

14 अप्रैल, 2007

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच-11026(4)/2007-वि. II]

डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अपर सचिव

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

2006 का निर्देश मामला सं. 48 और 104

[दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देश : दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा के सदस्य होने के लिए श्री नसीब सिंह और 17 अन्य विधानसभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता ।

श्री विजय जोली, विधान सभा सदस्य ..... याची

बनाम

श्री नसीब सिंह, विधान सभा सदस्य और 17 अन्य विधान सभा सदस्य ..... प्रत्यर्थी

और

श्री जगदीश मुखी, विधान सभा सदस्य ..... याची

बनाम

श्री नसीब सिंह, विधान सभा सदस्य और 17 अन्य विधान सभा सदस्य ..... प्रत्यर्थी

राय

भारत के राष्ट्रपति से तारीख 10 अप्रैल, 2006 और 19 जुलाई, 2006 के दो निर्देश प्राप्त हुए थे, जिनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के

अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा के सदस्य होने के लिए उस विधानसभा के 19 सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर उक्त दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी ।

2. उपरोक्त प्रश्न राष्ट्रपति को श्री विजय जोली, विधान सभा सदस्य, साकेत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नई दिल्ली की तारीख 28 मार्च, 2006 और श्री जगदीश मुखी, विधानसभा सदस्य और दिल्ली विधान सभा में विपक्ष के नेता की तारीख 3 अप्रैल, 2006 की याचिकाओं से उद्भूत हुआ जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन दिल्ली विधान सभा के 19 सदस्यों, अर्थात् (1) श्री नसीब सिंह, (2) डा. नरेन्द्र नाथ, (3) श्रीमती अंजली राय, (4) श्री मतीन अहमद, (5) श्री राजेश जैन, (6) श्री प्रह्लाद सिंह साहनी, (7) श्री ब्रह्म पाल, (8) श्री अम्बरीश सिंह गौतम, (9) श्री राजेश लिलोथिया, (10) डा. विजेन्द्र सिंह, (11) श्री बलराम तंवर, (12) प्रो. किरण वालिया, (13) श्री अशोक आहूजा, (14) श्रीमती ताजदार बाबर (15) श्री विजय सिंह लोचव, (16) श्री महाबल मिश्रा, (17) श्री कंवर करण सिंह, (18) श्री वीर सिंह धींगन और (19) श्री भीषम शर्मा की उनके विधान सभा सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् सरकार के अधीन ' लाभ के पद' धारण करने के कारण अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाया गया था ।

3. इन याचिकाओं में श्री मतीन अहमद, विधान सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में उठाए गए प्रश्न पर आयोग की राय पहले ही पृथक् रूप से 10 अगस्त, 2006 और 6 नवंबर, 2006 को दी जा चुकी है । वर्तमान राय शेष 18 विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है ।

4. याचिकाओं में प्रत्यर्थियों के संबंध में यह अभिकथन किया गया था, जो कि दोनों याचिकाओं में एकसमान था कि वे नीचे उल्लिखित पद धारण कर रहे हैं :-

क्रम सं.	प्रत्यर्थी का नाम	प्रत्यर्थी द्वारा अभिकथित रूप से धारित पद
1	श्री नसीब सिंह	संसदीय सचिव

2208 9707-2

2	डा. नरेन्द्र नाथ	अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांस यमुना बोर्ड
3	श्रीमती अंजली राय	उपाध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड अध्यक्ष, मध्य दिल्ली जिला विकास समिति
4	श्री मतीन अहमद	अध्यक्ष, दिल्ली वक्फ बोर्ड
5	श्री राजेश जैन	अध्यक्ष, उत्तरी दिल्ली जिला विकास समिति
6	श्री प्रह्लाद सिंह साहनी	अध्यक्ष, उत्तरी दिल्ली जिला विकास समिति
7	श्री ब्रह्म पाल	अध्यक्ष, पूर्वी दिल्ली जिला विकास समिति
8	श्री अम्बरीश सिंह गौतम	अध्यक्ष, पूर्वी दिल्ली जिला विकास समिति
9	श्री राजेश लिलोथिया	अध्यक्ष, पश्चिमी दिल्ली जिला विकास समिति
10	डा. बिजेन्द्र सिंह	अध्यक्ष, पश्चिमी दिल्ली जिला विकास समिति
11	श्री बलराम तंवर	अध्यक्ष, दक्षिणी दिल्ली जिला विकास समिति
12	प्रो. किरण वालिया	अध्यक्ष, दक्षिणी दिल्ली जिला विकास समिति
13	श्री अशोक आहूजा	अध्यक्ष, नई दिल्ली जिला विकास समिति
14	श्रीमती ताजदार बाबर	अध्यक्ष, नई दिल्ली जिला विकास समिति
15	श्री विजय सिंह लोचव	अध्यक्ष, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिला विकास समिति
16	श्री महाबल मिश्रा	अध्यक्ष, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिला विकास समिति
17	श्री कंवर करन सिंह	अध्यक्ष, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली जिला विकास समिति
18	श्री वीर सिह धींगन	अध्यक्ष, उत्तर-पूर्वी दिल्ली जिला विकास समिति
19	श्री भीषम शर्मा	अध्यक्ष, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली जिला विकास समिति

याचियों की दलील यह है कि ये पद सरकार के अधीन लाभ के पद हैं जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन निरर्हता आकर्षित करते हैं ।

5. आयोग ने 2.5.2006 को प्रत्यर्थियों को, उन्हें 22.5.2006 तक उनके लिखित कथन फाइल करने के लिए अनुरोध करते हुए सूचनाएं जारी की । बाद में उत्तर फाइल करने की तारीख को प्रत्यर्थियों के अनुरोध पर 21.6.2006 तक बढ़ा दिया गया था ।

6. सभी प्रत्यर्थियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने उत्तर 21.6.2006 को फाइल कर दिए थे । उन सभी ने (श्री प्रह्लाद सिंह साहनी को छोड़कर) अन्य बातों के साथ यह कथन किया कि उनके द्वारा धारित पद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अर्थान्तगर्त लाभ के पद नहीं हैं क्योंकि वे वेतन या भत्तों के रूप में किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं है । उन्होंने यह कथन किया कि उनके द्वारा धारित पदों के साथ कोई आर्थिक फायदें नहीं जुड़े है । श्री नसीब सिंह ने अपने उत्तर में यह और कथन किया कि मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव का कृत्य मुख्यमंत्री को संसदीय कार्य में सहायता करना है और यह कि यह नियुक्ति बिना किसी पारिश्रमिक या परिलब्धियों के मानदेय आधार पर है ; डा. नरेन्द्र नाथ ने अपने उत्तर में यह कथन किया कि ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड का कृत्य सिफारिशी प्रकृति का है, जो सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त और अनुमोदित परियोजनाओं तथा स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए है और दिल्ली ट्रांस यमुना बोर्ड के अध्यक्ष के पद के साथ वेतन, मानदेय आदि जैसे कोई आर्थिक फायदे नहीं जुड़े हैं ; और श्रीमती अंजली राय ने अपने उत्तर में यह कथन किया है कि उनके द्वारा धारित दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद दिल्ली जल आपूर्ति अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन एक नामनिर्देशित पद है और उन्हें अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है तथा उनकी नियुक्त दिल्ली सरकार द्वारा नहीं की गई है और, इसलिए प्रश्नगत पद "सरकार के अधीन पद" नहीं है । उन्होंने यह और दलील दी कि बोर्ड न तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार का कोई विभाग है और न ही कोई अधीनस्थ कार्यालय, अपितु वह एक स्वायत्त निकाय है जिसे दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 के अधीन सृजित किया गया है । उन्होंने यह कथन किया कि यह पद उनमें कोई कार्यपालक प्राधिकार या व्यष्टिक रूप से निर्णय करने की शक्ति निहित नहीं करता है । इसके

अतिरिक्त, उन्होंने यह और कथन किया कि इस पद के साथ वेतन, मानदेय जैसे कोई आर्थिक फायदे नहीं जुड़े हैं और इसलिए यह पद लाभ का पद नहीं है ।

7. श्री प्रह्लाद सिंह साहनी ने अपने लिखित कथन में अन्य बातों के साथ, यह कथन किया कि याची द्वारा उसकी याचिका में किया गया प्राख्यान पूर्णतया मिथ्या और तुच्छ है क्योंकि वह याची द्वारा अभिकथित किए गए अनुसार वर्ष 2004-2005 में उत्तरी जिला विकास समिति के अध्यक्ष नहीं थे । उन्होंने यह कथन किया कि 12.1.2004 से मार्च, 2006 तक श्री राजेश जैन उस पद को धारण कर रहे थे ।

8. किसी भी याची ने प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल किए गए लिखित कथनों का कोई प्रत्युत्तर फाइल नहीं किया । इस मामले में 28.9.2006 को सुनवाई नियत की गई थी । उस तारीख को श्री विजय जौली के लिए उपसंजात हुए विद्वान् काउंसेल ने इस आधार पर मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया कि श्री जौली दिल्ली से बाहर थे । आयोग ने अनुरोध को मान लिया और सुनवाई को 20.10.2006 के लिए स्थगित कर दिया । 20.10.2006 की सुनवाई में श्री जगदीश मुखी न तो स्वयं उपसंजात हुए न ही उनका कोई अधिवक्ता उपसंजात हुआ । तथापि, अन्य याची श्री विजय जौली की ओर से श्री राजेश रंजन, अधिवक्ता उपसंजात हुए । विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया कि याची द्वारा याचिका के फाइल किए जाने के पश्चात् दिल्ली विधान मंडल ने एक अधिनियम पारित किया था, अर्थात् "दिल्ली विधान सभा के दिल्ली सदस्यों (निरर्हता का निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2006", जिसके द्वारा "दिल्ली विंधान सभा के दिल्ली सदस्यों (निरर्हता का हटाया जाना) अधिनियम, 1997", (जिसे संक्षेप में '1997 का अधिनियम' कहा गया है,) का 9 सितंबर, 1997 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया गया था और उसकी प्रतिस्थापित धारा 3 की अनुसूची में किए गए संशोधन द्वारा याचिका में उल्लिखित प्रत्येक पद को मद 6, 7, 8 और 9 के द्वारा उक्त अनुसूची में, ऐसे पदों के प्रवर्ग में सम्मिलित किया गया है, जिनके धारकों को निरर्हता से छूट प्राप्त है । विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया है कि इसलिए उन्हें इस संबंध में और कोई कथन नहीं करना था । तथापि, उन्होंने यह कथन किया कि विधि का एक समान संशोधन संसद् द्वारा संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने के लिए पारित किया गया है जिसे रिट याचिका (सिविल) संख्या 411/2006 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी

गई है । उन्होंने यह कथन किया कि उच्चतम न्यायालय में फाइल रिट याचिका का निर्णय इस मामले पर भी प्रभाव डाल सकता है । अतः उन्होंने आयोग से यह अनुरोध किया कि वे वर्तमान मामले में अपनी राय प्रस्तुत करना तब तक आस्थगित कर दे जब तक कि संसद् द्वारा पारित संशोधन विधि को चुनौती देने वाली रिट याचिका का निर्णय नहीं हो जाता है ।

9. श्री बी.पी. सिंह, ज्येष्ठ अधिवक्ता और श्री अनिल अमृत, अधिवक्ता प्रत्यर्थियों के लिए उपसंजात हुए । उन्होंने यह कथन किया कि 1997 के अधिनियम में किए गए संशोधन के संबंध में स्थिति को पहले ही याची के काउंसेल द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है और उन्हें इस संबंध में और कुछ नहीं कहना है ।

10. आयोग ने मामले के सभी पहलुओं, विरोधी दलीलों और विधिक स्थिति पर विचार किया । यह सुस्थापित स्थिति है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) और 191(1)(क) के तत्समान है, निरर्हता आकर्षित करने के लिए तीन कारकों की संवीक्षा की जाती है, अर्थात् (i) क्या पद भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन है, (ii) क्या वह पद कोई लाभ का पद है, और (iii) क्या वह पद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त है । वर्तमान मामले में श्रीमती अंजली राय की उपाध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड के पद पर नियुक्ति को छोड़कर प्रश्नगत पदों पर प्रत्यर्थियों की नियुक्ति कार्यपालक सरकार द्वारा की गई है और किसी प्रतिकूल उपबंध की अनुपस्थिति में यह माना जाना होगा कि पदधारी को उनके पदों से हटाने की शक्ति भी सरकार में निहित है । जहां तक पदों से लाभ का संबंध है, उनकी नियुक्ति के आदेश/अधिसूचनाएं उनके लिए किसी पारिश्रमिक या फायदों का उल्लेख नहीं करती है । प्रत्यर्थियों ने यह कथन किया है कि वे उनके द्वारा धारित पदों से किसी आर्थिक लाभ या फायदे के हकदार नहीं है । याचियों ने इस कथन का न तो अपने प्रत्युत्तर में और न ही सुनवाई के दौरान अपने मौखिक कथनों में विरोध किया है । तथापि, " दिल्ली विधान सभा के दिल्ली सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) अधिनियम, 1997" में 2006 में किए गए ऊपर निर्दिष्टि संशोधन को देखते हुए इस पहलू पर, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है, विचार करना आवश्यक नहीं है ।

2208 9707-3

11. यह भलीभांति मान्य है कि संविधान ने विधान मंडल को किसी भी पद को निरर्हता के विस्तार क्षेत्र से छूट प्रदान करने की शक्ति प्रदान की है। दिल्ली विधान सभा के मामले में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) दिल्ली विधान मंडल को किसी पद की ऐसे रूप में घोषणा करने के लिए कि वह पद उसके धारक को दिल्ली विधान सभा का सदस्य होने के लिए या ऐसा सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित नहीं करेगा, विधि पारित करने के लिए समान शक्तियां प्रदान करती है ।

12. पूर्वोक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद् और सभी राज्य विधान मंडलों ने अनेक पदों को ऐसे पदों के रूप में घोषित करने वाली विधियां अधिनियमित की है जिनके धारकों को संबंधित सदन की सदस्यता से निरर्हित नहीं माना जाएगा, जो ऐसी घोषणा न किए जाने पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के आधार पर निरर्हित माने जा सकते थे । संसद् और विभिन्न राज्य विधान मंडलों ने बहुधा संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव देते हुए समय-समय पर ऐसी विधियों में संशोधन किए हैं । यह सुस्थापित है कि राज्य विधान मंडलों को भूतलक्षी प्रभाव से निरर्हता का निवारण करने संबंधी विधि का संशोधन करने की शक्ति है ।

13. उच्चतम न्यायालय की संविधान न्याय पीठ के निम्नलिखित संप्रक्षेपों ने श्रीमती कान्ता कथूरीया बनाम एम. मानक चन्द सुराणा (1970 2 एससीआर 838) में इस प्रश्न का परिनिर्धारण किया है।

"अब हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं । क्या राजस्थान विधान मंडल का अधिनियम निरर्हता को भूतलक्षी रूप से हटाता है ; दूसरे शब्दों में क्या निर्वाचन समाप्त होने के पश्चात् विधानमंडल द्वारा ऐसी कोई विधि पारित की जा सकती है ?

पहला प्रश्न यह है कि क्या नई विधि प्रतिक्रियापूर्ण है या घोषणात्मक । यदि वह घोषणात्मक थी तो वह भूतलक्षी होगी ; यदि प्रतिक्रियापूर्ण थी तो वह केवल भविष्यलक्षी होगी जब तक कि वस्तुतः भूतलक्षी न बनाई जाए । यह कि वह विधि अभिव्यक्त रूप से भूतलक्षी बनाई गई थी, इससे इस बात का समर्थन होता है कि वह प्रतिक्रियापूर्ण थी । भूतलक्षी रूप से उसका प्रवर्तन अभ्यर्थी के नामनिर्देशन की या उसके निर्वाचन की तारीख को उसकी अस्तित्वशील अनर्हता हटाने में प्रभावकारी होने पर निर्भर करता है । निःसंदेह इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है कि विधि का

भविष्यलक्षी प्रवर्तन पूर्ण रूप से विधिमान्य ठहराया जाए । एकमात्र विवाद उसके भूतलक्षी प्रवर्तन की बाबत है ।

चूंकि यह स्थिति पक्के तौर पर आधारित है अतः हमें उन परिसीमाओं को जो यदि संविधान में हो, देखना होगा । अनुच्छेद 191 में (जो पहले उद्धृत किया गया है) ही राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा यह घोषित करने की शक्ति को मान्यता दी गई है कि कोई पद धारण करने वाला सदस्य के तौर पर चुने जाने के लिए निरर्हित नहीं होगा । अनुच्छेद में वर्णित है कि कोई व्यक्ति यदि वह राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला हो, निरर्हित होगा जब तक कि विधानमंडल द्वारा वह पद, धारक को निरर्हित न करने वाला घोषित न कर दिया जाए । इस प्रकार राज्य विधानमंडल की घोषणा करने की शक्ति आरक्षित है । अनुच्छेद के शब्दों में यह दर्शाने के लिए कोई बात नहीं है कि यह घोषणा भूतलक्षी रूप से नहीं की जा सकती । यह सच है कि इससे उन्हें लाभ मिल जाता है जो निर्वाचन के लिए खड़े होते हैं । जब निरर्हता इस प्रकार उन व्यक्तियों के प्रति नहीं हटाई गई थी जो निर्वाचन लड़ने से दूर रहे क्योंकि निर्योग्यता नहीं हटाई गई थी । इससे इस प्रकार भूतलक्षी विधि निर्माण के औचित्य की बाबत प्रश्न उद्भूत नहीं हो सकते हैं । किन्तु ऐसी विधियां बनाने की हैसियत की बाबत प्रश्न उद्भूत नहीं होता । इस देश में विधि निर्माण की पद्धति को ध्यान में रखते हुए और किसी अभिव्यक्त या विवक्षित स्पष्ट प्रतिषेध के न होने से हमारा समाधान हो गया है कि अधिनियम भूतलक्षी रूप से प्रवर्तित होने के कारण अप्रभावशील घोषित नहीं किया जा सकता ।"

14. वर्तमान मामले में दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित "दिल्ली विधान सभा के दिल्ली सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) (संशोधन) अधिनियम, 2006" एक विधि है जिसे राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त है और जिसे 22 सितंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया है । इस संशोधन द्वारा 1997 के मूल अधिनियम की अनुसूची को उसमें (क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव, (ख) ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड, दिल्ली के अध्यक्ष और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा गठित 9 जिला विकास समितियों के अध्यक्ष के पदों को सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया गया है जिससे कि उन अधिकारियों को दिल्ली विधान सभा का सदस्य होने के लिए और ऐसे सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निरर्हता के विस्तार क्षेत्र से छूट

दी जा सके । "दिल्ली विधान सभा के दिल्ली सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) अधिनियम, 1997" के संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से 9 सितंबर, 1997 से प्रभावी किया गया है । आयोग की जानकारी के लिए "दिल्ली विधान सभा के दिल्ली सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) अधिनियम, 1997" का संशोधन करने वाले इस 2006 के संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है और न ही किसी न्यायालय द्वारा उसे आस्थगित किया गया है और इसलिए संशोधित विधि मान्य है । जहां तक याचियों के उच्चतम न्यायालय में संसद् (निरर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2006 को चुनौती देने वाली रिट याचिका (सिविल सं. 411/2006) के संबंध में किए गए कथन का संबंध है यह देखा गया है कि संशोधन अधिनियम के अधीन कोई आस्थगन आदेश नहीं किया गया है । याचियों ने किसी भी सुनवाई में या तत्पश्चात् उक्त संशोधन अधिनियम के संबंध में उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश या निदेश की कोई सूचना नहीं दी है । किसी भी दशा में, संसद् (निरर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2006 संसद् सदस्यों से संबंधित है न कि दिल्ली विधान सभा के सदस्यों से । इन परिस्थितियों में, आयोग को प्रवृत्त विधि का पालन करना होगा । उच्चतम न्यायालय ने ए.सी. जोस बनाम सिवान पिल्लै (ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 921) में यह अधिकथित किया है कि आयोग संसद् और राज्य विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित विधियों का पालन करने के लिए आबद्ध है ।

15. जैसा कि ऊपर देखा गया है, ऊपर निर्दिष्ट दिल्ली विधान सभा के दिल्ली सदस्यों (निरर्हता का हटाया जाना) अधिनियम, 1997 में भूतलक्षी प्रभाव से 9 सितंबर, 1997 से किए गए संशोधन के कारण याचिकाओं में उल्लिखित पदों के धारकों (दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के पद को छोड़कर) को दिल्ली विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और ऐसा सदस्य होने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से निरर्हता से छूट प्राप्त है । आयोग ने भूतलक्षी प्रभाव वाले ऐसे संशोधन विधानों का पूर्व में भी संज्ञान किया है, जिसके अंतर्गत कतिपय संसद् सदस्यों के अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित हाल ही के निर्देश मामले भी हैं (श्री मुकुल राय की श्री सोमनाथ चटर्जी और 9 अन्य संसद् सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित याचिका पर 2006 का निर्देश मामला सं. 3, डा. मनमोहन सिंह और श्री पी. चिदम्बरम आदि की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के संबंध में 2006 का निर्देश मामला सं. 99) । वर्तमान मामला भी उन मामलों के समान है । अतः यदि ऊपर

उल्लिखित प्रत्यर्थियों की, अभिकथित लाभ के पदों पर उनकी नियुक्ति के कारण कोई निरर्हता थी भी तो वह अब "दिल्ली विधान सभा के दिल्ली सदस्यों (निरर्हता का हटाया जाना) (संशोधन) अधिनियम, 2006" द्वारा दिल्ली विधान सभा के दिल्ली सदस्यों (निरर्हता का हटाया जाना) अधिनियम, 1997 में किए गए संशोधनों के कारण हट गई है, जिनमें उक्त पदों को स्पष्ट रूप से ऐसे पदों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनके धारक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अर्थान्तगर्त निरर्हता आकर्षित नहीं करेंगे ।

16. जहां तक श्रीमती अंजली राय द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के अतिरिक्त पद को धारण करने का संबंध है, यह देखा गया है कि दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 की धारा 3(2)(iii) द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के लिए विधान सभा के तीन सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त हैं और धारा 3(2)(i) में यह और उपबंध किया गया है कि उक्त तीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक को अध्यक्ष द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा । श्रीमती अंजली राय ने यह दलील दी है कि दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में उनके नामनिर्देशन को सरकार द्वारा ऐसे किसी पद पर नियुक्ति नहीं कहा जा सकता जो उसके अधीन हो क्योंकि सरकार के पास उक्त पद पर न तो नियुक्त करने की शक्ति और न ही उन्हें उस पद से हटाने की । उन्होंने यह भी दलील दी है कि वह उक्त पद पर उन्हें नामनिर्दिष्ट करने वाले अध्यक्ष के आदेश के कारण किसी वेतन, पारिश्रमिक या किसी फायदे या लाभ की हकदार नहीं है । याचियों ने उनकी किसी भी उपरोक्त दलील का विरोध नहीं किया है और न ही वर्तमान कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान किसी भी प्रक्रम पर उन दलीलों का विरोध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है । दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में उनके नामांकन का मामला कमोबेश दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा पांच सदस्यों को परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन परिसीमन आयोग के सहबद्ध सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करने के समतुल्य है । आयोग ने श्री नवीन जिंदल, संसद् सदस्य (2006 का निर्देश मामला सं. 72) के मामले में अभी हाल ही में यह अभिनिर्धारित किया है कि वे परिसीमन आयोग में हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन परिसीमन आयोग के एक सहबद्ध सदस्य

2208 GI/07-4

के रूप में उनके नामांकन के कारण सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर रहे थे । अतः श्रीमती अंजली राय को भी दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद धारण करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन निरर्हित नहीं कहा जा सकता ।

17. उपर्युक्त सांविधानिक और विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग का सुविचारित मत यह है कि ऊपर उल्लिखित प्रत्यर्थियों की अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी तो वह श्रीमती अंजली राय की दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के मामले को छोड़कर, जिसे सरकार द्वारा किसी लाभ के पद पर की गई नियुक्ति के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया गया है, प्रत्यर्थियों की उनकी अभिकथित पदों पर नियुक्ति की तारीख से ही भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है । तदनुसार, आयोग दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन राष्ट्रपति को इस प्रभाव की अपनी राय प्रस्तुत करता है कि यदि प्रत्यर्थियों द्वारा याचिकाओं में उल्लिखित लाभ के पदों, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के पद को छोड़कर, पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् यदि कोई निरर्हता उपगत की भी गई थी तो वह दिल्ली विधान सभा के दिल्ली सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) अधिनियम, 1997 की संशोधित धारा 3 के कारण अब हट गई है । श्रीमती अंजली राय द्वारा धारित दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के पद को सरकार के अधीन लाभ के पद के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया गया है । तदनुसार, प्रत्यर्थी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन दिल्ली विधान सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं है ।

ह.	ह.	ह.
(एस.वाई. कुरैशी)	(एन. गोपालस्वामी)	(नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली:

तारीख: 19 जनवरी, 2007

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2007

S.O. 645(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas two petitions have been submitted to the President, one dated the 28th March, 2006 by Shri Vijay Jolly, MLA, Saket Assembly Constituency, New Delhi and the other dated the 3rd April, 2006 by Shri Jagdish Mukhi, MLA and Leader of Opposition in the Delhi Legislative Assembly raising the question of alleged disqualification of 19 Members of Delhi Legislative Assembly, namely, (1) Shri Naseeb Singh, (2) Dr. Narendra Nath, (3) Smt. Anjali Rai, (4) Shri Mateen Ahmad, (5) Shri Rajesh Jain, (6) Shri Prahlad Singh Sawhney, (7) Shri Braham Pal, (8) Shri Ambrish Singh Gautam, (9) Shri Rajesh Lilothia, (10) Dr. Bijender Singh, (11) Shri Balram Tanwar, (12) Prof. Kiran Walia, (13) Shri Ashok Ahuja, (14) Smt. Tajdar Babar, (15) Shri Vijay Singh Lochav, (16) Shri Mahabal Mishra, (17) Shri Kanwar Karan Singh, (18) Shri Veer Singh Dhingan and (19) Shri Bhisham Sharma, under clause (a) of sub-section (1) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under two references dated the 10th April, 2006 and the 19th July, 2006 under sub-section (4) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, on the question of alleged disqualification of the aforesaid 19 Members of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, for being Members of Delhi Legislative Assembly, under clause (a) of sub-section (1) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991;

And whereas the allegations in the petitions relating to the respondents, which are identical in both the petitions, are that they have been holding the offices mentioned below:-

Sl.No.	Names of Members	Alleged offices of profit held by the Members
1.	Shri Naseeb Singh	Parliamentary Secretary
2.	Dr. Narendra Nath	Chairman, Delhi Trans Yamuna Board

3.	Smt. Anjali Rai	Vice Chairman, Delhi Jal Board Chairman, Central Delhi District Development Committee
4.	Shri Mateen Ahmad	Chairman, Delhi Wakf Board
5.	Shri Rajesh Jain	Chairman, North Delhi District Development Committee
6.	Shri Prahlad Singh Sawhney	Chairman, North Delhi District Development Committee
7.	Shri Braham Pal	Chairman, East Delhi District Development Committee
8.	Shri Ambrish Singh Gautam	Chairman, East Delhi District Development Committee
9.	Shri Rajesh Lilothia	Chairman, West Delhi District Development Committee
10.	Dr. Bijender Singh	Chairman, West Delhi District Development Committee
11.	Shri Balram Tanwar	Chairman, South Delhi District Development Committee
12.	Prof. Kiran Walia	Chairman, South Delhi District Development Committee
13.	Shri Ashok Ahuja	Chairman, New Delhi District Development Committee
14.	Smt. Tajdar Babar	Chairman, New Delhi District Development Committee
15.	Shri Vijay Singh Lochav	Chairman, South-West Delhi District Development Committee
16.	Shri Mahabal Mishra	Chairman, South-West Delhi District Development Committee
17.	Shri Kanwar Karan Singh	Chairman, North-West Delhi District Development Committee
18.	Shri Veer Singh Dhingan	Chairman, North-East Delhi District Development Committee
19.	Shri Bhisham Sharma	Chairman, North-East Delhi District Development Committee

And whereas the contention of the petitioner is that the above-mentioned offices are offices of profit under the Government attracting disqualification under clause (a) of sub-section (1) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991;

And whereas the Election Commission's opinion on the question of alleged disqualification of Shri Mateen Ahmad, Member of Legislative Assembly raised in these petitions has already been given separately on the 10th August, 2006 and 6th November, 2006;

And whereas the Election Commission has stated that the present opinion deals with the question of alleged disqualification of the remaining 18 Members of Legislative Assembly;

And whereas the Election Commission has taken note of section 3 of the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997, as amended, with retrospective effect from the 9th September, 1997, *vide* the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) (Amendment) Act, 2006 and by this amendment, the Schedule of the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997 has been amended to include therein the offices of (a) Parliamentary Secretary to the Chief Minister of Government of National Capital Territory of Delhi, (b) Chairman of Trans Yamuna Area Development Board, Delhi, and (c) Chairman of 9 District Development Committees constituted by the Government of National Capital Territory of Delhi, so as to exempt those offices from the purview of disqualification for being a Member of Delhi Legislative Assembly.

And whereas the Election Commission has further noted that in so far as the additional office held by Smt. Anjali Rai as Vice-Chairperson of the Delhi Jal Board is concerned, the Speaker of the Delhi Legislative Assembly is empowered by section 3(2)(iii) of the Delhi Jal Board Act, 1998, to nominate three Members of the Legislative Assembly to the Delhi Jal Board and it is further provided in section 3(2)(i) of the said Act that one of the said three nominated members shall be nominated by the Speaker as the Vice-Chairperson of the Delhi Jal Board and therefore she did not hold an office of profit under the Government by the reason of her nomination by the Speaker of the Delhi Legislative Assembly;

And whereas the Election Commission has rendered its opinion *(vide Annex)*, on the question of alleged disqualification of the above-mentioned 18 Members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, that, if at all there was any disqualification incurred by the above-mentioned 18 Members of Delhi Legislative Assembly following their appointment to the offices mentioned above, other than the office of Vice-Chairman of the Delhi Jal Board, in the petitions, the same now stands removed by virtue of the amended section 3 of the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997 and as

regards the office of Vice-Chairperson of the Delhi Jal Board held by Smt. Anjali Rai, it has been held as not an office of profit under the Government. Therefore, the above mentioned 18 Members are not disqualified under section 15(1)(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 for being members of Delhi Legislative Assembly;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (3) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, do hereby decide that the above-mentioned 18 Members of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, are not disqualified under clause (a) of sub-section (1) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 for being members of the Delhi Legislative Assembly, as alleged in the present petitions.

14th April, 2007 President of India

[F. No. H-11026(4)/2007-Leg. II]

Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl. Secy.

ANNEX

Election Commission of India

NIRVACHAN SADAN
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

Reference Cases Nos. 48 & 104 of 2006

[Reference from the President of India under Section 15 of the Govt. of National Capital Territory of Delhi Act, 1991]

In re: Alleged disqualification of Sh. Naseeb Singh and 17 others, for being Members of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, under Section 15 of the Govt. of NCT of Delhi Act, 1991.

Shri. Vijay Jolly, MLA ... ... Petitioner

Vs.

Shri Naseeb Singh, MLA and 17 other MLAs ... ... Respondents.

AND

Shri. Jagdish Mukhi, MLA ... ... Petitioner

Vs.

Shri Naseeb Singh, MLA and 17 other MLAs ... ... Respondents.

OPINION

Two references, dated 10th April, 2006, and 19th July, 2006, were received from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Section

15(4) of the Govt. of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, on the question of alleged disqualification of 19 Members of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, for being members of that Legislative Assembly, under Section 15(1)(a) of the said Govt. of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 ('GNCTD Act, 1991' for short).

2. The above question arose on two petitions submitted to the President – one, dated 28th March, 2006, by Shri Vijay Jolly, MLA, Saket Assembly Constituency, New Delhi and the other dated 3rd April, 2006 by Shri Jagdish Mukhi, MLA and Leader of Opposition in the Delhi Legislative Assembly, raising the question of alleged disqualification of 19 members of the Delhi Legislative Assembly, namely, (1) Shri Naseeb Singh, (2) Dr. Narendra Nath, (3) Smt. Anjali Rai, (4) Shri Mateen Ahmad, (5) Shri Rajesh Jain, (6) Shri Prahlad Singh Sawhney, (7) Shri Braham Pal, (8) Shri Ambrish Singh Gautam, (9) Shri Rajesh Lilothia, (10) Dr. Bijender Singh, (11) Shri Balram Tanwar, (12) Prof. Kiran Walia, (13) Shri Ashok Ahuja, (14) Smt. Tajdar Babar, (15) Shri Vijay Singh Lochav, (16) Shri Mahabal Mishra, (17) Shri Kanwar Karan Singh, (18) Shri Veer Singh Dhingan and (19) Shri Bhisham Sharma, under Section 15(1)(a) of the Govt. of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, for holding 'offices of profit' under the Government after their election as MLAs.

3. The Commission's opinion on the question of alleged disqualification of Shri Mateen Ahmed, MLA raised in these petitions has already been given by the Commission separately on 10th August, 2006 and 6th November, 2006. The present opinion deals with the question of alleged disqualification of the remaining 18 MLAs.

4. The allegations in the petitions relating to the respondents, which are identical in both the petitions, are that they have been holding the offices mentioned below:-

Sl.No.	Name of Respondent	Alleged office of profit held by Respondent
1	Shri Naseeb Singh	Parliamentary Secretary
2	Dr. Narendra Nath	Chairman, Delhi Trans Yamuna Board
3	Smt. Anjali Rai	Vice Chairman, Delhi Jal Board Chairman, Central Delhi District Development Committee
4	Shri Mateen Ahmad	Chairman, Delhi Wakf Board
5	Shri Rajesh Jain	Chairman, North Delhi District Development Committee

6	Shri Prahlad Singh Sawhney	Chairman, North Delhi District Development Committee
7	Shri Braham Pal	Chairman, East Delhi District Development Committee
8	Shri Ambrish Singh Gautam	Chairman, East Delhi District Development Committee
9	Shri Rajesh Lilothia	Chairman, West Delhi District Development Committee
10	Dr. Bijender Singh	Chairman, West Delhi District Development Committee
11	Shri Balram Tanwar	Chairman, South Delhi District Development Committee
12	Prof. Kiran Walia	Chairman, South Delhi District Development Committee
13	Shri Ashok Ahuja	Chairman, New Delhi District Development Committee
14	Smt. Tajdar Babar	Chairman, New Delhi District Development Committee
15	Shri Vijay Singh Lochav	Chairman, South-West Delhi District Development Committee
16	Shri Mahabal Mishra	Chairman, South-West Delhi District Development Committee
17	Shri Kanwar Karan Singh	Chairman, North-West Delhi District Development Committee
18	Shri Veer Singh Dhingan	Chairman, North-East Delhi District Development Committee
19	Shri Bhisham Sharma	Chairman, North-East Delhi District Development Committee

The petitioners' contention is that these offices are offices of profit under the Government attracting disqualification under Section 15(1)(a) of the Govt. of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

5. The Commission issued Notices on 02.05.2006 to the respondents asking them to file their written statements by 22.05.2006. The date for filing reply was later extended to 21.06.2006, on the request of the respondents.

6. All the respondents filed their reply on 21.06.2006 through their Advocate. All of them (except Shri Prahlad Singh Sawhney) *inter-alia* submitted that the offices held by them are not office of profit within the meaning of Section 15(1)(a) of the Govt. of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, as they are not entitled to any remuneration by way of salary or allowances. They submitted that there are no pecuniary benefits attached to the posts held by them. Shri Naseeb Singh, in his reply has added that the function of a Parliamentary Secretary to the Chief Minister is to assist the Chief Minister in Parliamentary work and that the appointment is on honorary

basis, without any remuneration or perks; Dr. Narendra Nath stated in his reply that the function of the Trans Yamuna Area Development Board is of recommendatory nature, for implementation of projects and schemes sanctioned and approved by the Govt. and there are no pecuniary benefits such as salary, honorarium etc. attached to the office of the Chairman of Delhi Trans Yamuna Board; and Smt. Anjali Rai has submitted in her reply that the post of the Vice-Chairperson, Delhi Jal Board, held by her is a nominated post under the provisions of Delhi Water Supply Act, 1998, and she has been nominated by the Speaker and not appointed by Delhi Government and, therefore, the office in question is not an "Office under the Govt." She has further contended in her reply that the Board is neither a department of the Govt. of National Capital Territory of Delhi nor a subordinate office, but an autonomous body created under the Delhi Water Board Act, 1998. She stated that this post does not vest in her any executive authority or individual decision making power. Further, she added that there are no pecuniary benefits such as salary or honorarium attached to this post and, therefore, the office is not an office of profit.

7. Shri Prahlad Singh Sawhney in his written statement *inter-alia* stated that the assertion made by the petitioner in his petition is entirely false and frivolous as he was not the Chairman, North District Development Committee in the year 2004-2005, as alleged by the petitioner. He said that Shri Rajesh Jain was holding that post from 12.01.2004 to March, 2006.

8. Neither of the petitioners filed any rejoinder to the written statements filed by the respondents. A hearing was fixed in this matter for 28.09.2006. On that date, the learned counsel appearing for Shri Vijay Jolly prayed for adjournment on the ground that Shri Jolly was out of Delhi. The Commission acceded to the request and adjourned the hearing to 20.10.2006. At the hearing on 20.10.2006, Shri Jagdish Mukhi did not put in appearance, either in person or through advocate. However, Shri Rajesh Ranjan, Advocate appeared on behalf of the other petitioner, Shri Vijay Jolly. The learned Counsel submitted that the Delhi Legislature had passed an Act, namely, "The Delhi Members of Legislative Assembly of Delhi (Removal of Disqualification) (Amendment) Act, 2006" amending the "The Delhi Members of Legislative Assembly of Delhi (Removal of Disqualification) Act, 1997" ('1997 Act' in short) with retrospective effect from the 9th September, 1997 after filing of the petition by the petitioner and by the amendment made to the Schedule to the substituted Section 3 thereof, each and every office mentioned in the petition has been included, vide items 6, 7, 8 and 9 in the said Schedule, in the category of offices exempted from disqualification of the holders

thereof. The learned counsel said that he has, therefore, nothing more to say in this regard. He, however, stated that a similar amendment in law has been passed by the Parliament amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, with retrospective effect, which has been challenged in the Supreme Court in WP (Civil) No.411/2006. He submitted that the outcome of the WP filed in the Supreme Court, may have a bearing on this case also. He, therefore, requested the Commission to defer the tendering of opinion in the present case till the WP challenging the amendment law passed by Parliament is decided.

9. Shri V.P. Singh, Sr. Advocate and Shri Anil Amrit, Advocate, appeared for the respondents. They submitted that since the position regarding the amendment made to the 1997 Act has already been explained by the Counsel for the petitioner, they have nothing more to add.

10. The Commission has considered all aspects of the matter, the rival contentions and the legal position. It is a well established position that for attracting disqualification under Section 15(1)(a) of the GNCTD Act, 1991, which is identical to Articles 102(1)(a) and 191(1)(a) of the Constitution of India, three factors have to be examined, namely (i) whether the office is under the Government of India or the Government of any state, (ii) whether the office is an office of profit, and (iii) whether the office is exempted from disqualification under any law passed by the appropriate Legislature in exercise of powers under Section 15(1)(a) of the GNCTD Act, 1991. In the present case the appointment of the respondents to the offices in question, except the appointment of Smt. Anjali Rai to the office of the Vice-Chairperson, Delhi Jal Board, have been made by the executive Govt. and it has to be presumed, in the absence of any provisions to the contrary, that the power to remove the incumbents from their offices also vests with the Govt. As regards profit out of the offices, the orders/notifications of their appointment do not mention about any remuneration or benefits to them. The respondents have stated that they are not entitled to any pecuniary gain or benefit out of the offices held by them. The petitioners have not refuted this statement either in any rejoinder or in the oral submissions at the hearing. However, in view of the above-referred amendment made in 2006 to "the Delhi Members of Legislative Assembly of

Delhi (Removal of Disqualification) Act, 1997", it is not necessary to go further into this aspect, as explained below.

11. It is well recognized that the Constitution has given power to the Legislature to exempt any office from the purview of the disqualification. In the case of the Legislative Assembly of Delhi, Section 15(1)(a) of the GNCTD Act, 1991 gives similar powers to the Delhi Legislature to pass law to declare any office as an office which will not disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of the Delhi Legislative Assembly.

12. In exercise of the above powers, the Parliament and all State Legislatures have enacted laws declaring several offices the holders whereof are not deemed to be disqualified for membership of the respective Houses, who but for such declaration might have been considered to be disqualified on the ground of holding an office of profit under the Government of India or of any state. The Parliament and the various State Legislatures have also carried out amendments to such laws from time to time, often giving retrospective effect to the amendments. It is well settled that the State Legislatures have the power to amend law regarding prevention of disqualification with retrospective effect.

13. The following observations of the Constitution Bench of the Supreme Court has in Kanta Kathuria vs M Manak Chand Surana, (1970 2 SCR 838) settled this issue:

> "This brings us to the next question. Does the Act of the Rajasthan Legislature remove the disqualification retrospectively; in other words, can such a law be passed by the Legislature after the election is over?
>
> The first question is whether the new law is remedial or declaratory. If it was declaratory then it would be retrospective; if remedial only, prospective unless legally made retrospective. That it has been made expressly retrospective lends support to its being remedial. Its retrospective operation depends on its being effective to remove a disability existing on the date of nomination of a candidate or his election. Of course, there is no difficulty in holding the law to be perfectly valid in its prospective operation. The only dispute is in regard to its retrospective operation.

This position being firmly grounded we have to look for limitations, if any, in the Constitution. Article 191 (which has been quoted earlier) itself recognizes the power of the Legislature of the State to declare by law that the holder of an office shall not be disqualified for being chosen as a member. The Article says that a person shall be disqualified if he holds an office of profit under the Government of India or the Government of any State unless that office is declared by the Legislature not to disqualify the holder. Power is thus reserved to the Legislature of the State to make the declaration. There is nothing in the words of the article to indicate that this declaration cannot be made with retrospective effect. It is true that it gives an advantage to those who stand when the disqualification was not so removed as against those who may have kept themselves back because the disability was not removed. That might raise questions of the propriety of such retrospective legislation but not of the capacity to make such laws. Regard being had to the legislative practice in this country and in the absence of a clear prohibition either express or implied we are satisfied that the Act cannot be declared ineffective in its retrospective operation."

14. In the present case, there is a law "The Delhi Members of Legislative Assembly of Delhi (Removal of Disqualification) (Amendment) Act, 2006" passed by the Delhi Legislative Assembly, which got the Presidential assent and has been notified on 22nd September, 2006. By this amendment, the Schedule of the parent 1997 Act has been amended to include therein the offices of (a) Parliamentary Secretary to the Chief Minister of Government of National Capital Territory of Delhi, (b) Chairman of Trans Yamuna Area Development Board, Delhi, and (c) Chairmen of 9 District Development Committees constituted by the Government of NCT of Delhi, so as to exempt those officers from the purview of disqualification for being chosen as, and for being, a Member of Delhi Legislative Assembly. The amendments to "The Delhi Members of Legislative Assembly of Delhi (Removal of Disqualification) Act, 1997" have been made effective retrospectively from the 9th September, 1997. To the knowledge of the Commission, the validity of this 2006-Amendment Act amending "The Delhi Members of Legislative Assembly of Delhi (Removal of Disqualification) Act, 1997", has not been challenged in or stayed by, any Court and the amended law holds the field. As regards

the submission of the petitioners about the Writ Petition (Civil No.411/2006) in the Supreme Court challenging the Parliament (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2006, it is seen that there is no stay order against the amendment Act. The petitioners have not brought to the notice of the Commission any order or direction of the Supreme Court regarding the said amendment Act either at the hearing or subsequently. In any event, the Parliament (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2006 deals with the Members of Parliament and not with the members of the Delhi Legislative Assembly. In the circumstances, the Commission has to go by the law in force. The Supreme Court has laid down in A.C. Jose Vs. Sivan Pillai (AIR 1984 SC 921) that the Commission is bound to follow the laws enacted by Parliament and State Legislatures.

15. As seen above, by virtue of the amendment now made to the Delhi Members of Legislative Assembly of Delhi (Removal of Disqualification) Act, 1997 with retrospective effect from 9th September, 1997, referred to above, the holders of the offices mentioned in the petitions (except the office of Vice-Chairperson, Delhi Jal Board) stand exempted from disqualification with retrospective effect, for being chosen as, and for being, members of the Legislative Assembly of Delhi. The Commission has taken cognizance of such amendment legislations with retrospective effect, in the past including in very recent reference cases relating to the question of alleged disqualification of certain Members of Parliament (Ref. Case No.3 of 2006 on the petition of Shri Mukul Roy on the question of alleged disqualification of Shri Somnath Chatterjee and nine other MPs, Ref. Case No.99 of 2006 on the question of alleged disqualification of Dr. Manmohan Singh and Shri P. Chidambaram, etc.). The present case is also similar to those cases. Therefore, if at all there was any disqualification of the respondents above mentioned on account of their appointment to the alleged offices of profit, the same stands removed now, by virtue of the amendment made to the said Delhi Members of Legislative Assembly of Delhi (Removal of Disqualification) Act, 1997 by "The Delhi Members of Legislative Assembly of Delhi (Removal of Disqualification) (Amendment) Act, 2006", expressly specifying the said offices as offices, holders whereof will not attract disqualification within the meaning of Section 15(1)(a) of the GNCTD Act, 1991.

2208 97/07-7

16. In so far as the additional office held by Smt. Anjali Rai as Vice-Chairperson of the Delhi Jal Board is concerned, it is seen that the Speaker of the Delhi Legislative Assembly is empowered by Section 3(2)(iii) of the Delhi Jal Board Act, 1998, to nominate three Members of the Legislative Assembly to the Delhi Jal Board and it is further provided in Section 3(2)(i) that one of the said three nominated members shall be nominated by the Speaker as the Vice-Chairperson of the Delhi Jal Board. Smt. Anjali Rai has contended that her nomination as Vice-Chairperson of the Delhi Jal Board by the Speaker of the Delhi Legislative Assembly cannot be said to be an appointment by the Government to an office under it as the Government has no power either to make the appointment or remove her from the said office. She has also contended that she is not entitled to any salary, remuneration or any benefit or profit flowing out of the order of the Speaker nominating her to the said office. The petitioners have not controverted any of her above contentions nor adduced any evidence to rebut those contentions at any stage during the course of the present proceedings. Her case of nomination as Vice-Chairperson of the Delhi Jal Board by the Speaker of the Delhi Legislative Assembly is more or less analogous to the nomination of five Members of Delhi Legislative Assembly by the Speaker as Associate Members of the Delimitation Commission under the Delimitation Act, 2002. The Commission has recently held in the case of Shri Naveen Jindal, MP (Reference Case No72 of 2006) that he did not hold an office of profit under the government by reason of his nomination by the Speaker of the Lok Sabha as one of the Associate Members of the Delimitation Commission under the said Delimitation Act, 2002 to represent the State of Haryana in the Delimitation Commission. Thus, Smt. Anjali Rai can also not be said to be disqualified under Section 15(1) (a) of the GNCTD Act, 1991 for the holding the office of the Vice-Chairperson of the Delhi Jal Board.

17. Having regard to the above constitutional and legal position, the Commission is of the considered view that the alleged disqualification, if any, of the respondents mentioned above, stands removed with retrospective effect from the very date of their appointments to the alleged offices of profit, except in the case of Smt. Anjali Rai's appointment as Vice-Chairperson of the Delhi Jal Board, which has been held not to be an appointment by the Government to an office of profit. Accordingly, the Commission

hereby tenders its opinion to the President under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, to the effect that if at all there was any disqualification incurred by the respondents following their appointment to the offices of profit mentioned, other than the office of Vice-Chairperson of the Delhi Jal Board, in the petitions, the same now stands removed by virtue of the amended Section 3 of the Delhi Members of Legislative Assembly of Delhi (Removal of Disqualification) Act, 1997. The office of Vice-Chairperson of the Delhi Jal Board held by Smt. Anjali Rai has been held as not an office of profit under the Govt. Accordingly the respondents herein are not disqualified under Section 15(1)(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 for being members of the Delhi Legislative Assembly.

(S Y Quraishi)
Election Commissioner

(N. Gopalaswami)
Chief Election Commissioner

(Navin B Chawla)
Election Commissioner

Place: New Delhi
Dated: 19th January, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064,
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.